"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48-अ] रायपुर, शनिवार, दिनांक 24 मार्च 2012—चैत्र 4, शक 1934

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-12/आठ-परि./2012.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 67 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2703/परि.वि./2010, दिनांक 15 अक्टूबर, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

1. अनुसूची के सरल क्रमांक (3) के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक जोड़ा जाये, अर्थात् :—
   "(3-क) छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी कोई व्यक्ति, संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा सम्यक् रूप से जारी किया गया "नक्सल प्रभावित व्यक्ति" का प्रमाणपत्र रख कर, यदि राज्य के भीतर यात्री बस द्वारा यात्रा के दौरान इसे दिखाता है, तो उसे किराये के पचास प्रतिशत भुगतान से छूट दी जायेगी."

2. अनुसूची के सरल क्रमांक (4) में, अंक "01 से 03" के स्थान पर, अंक "(1) से (3-क)" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2012

क्रमांक एफ 5-12/आठ-परि./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24-03-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

Raipur, the 24th March 2012

NOTIFICATION

No. F 5-12/VIII-Tr./2012.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 67 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988), The State Government, hereby, makes the following amendment in the Department's Notification No. 2703/परि.वि./2010, dated 15th October, 2010, namely :—

AMENDMENT

In the said notification,—

1. After serial number (3) of the Schedule, the following serial number shall be added, namely :—
   " (3-A) Any person being a resident of Chhattisgarh State, carrying a certificate of "Naxal Affected Person" duly issued by the Collector with the recommendation of the Police Superintendent of the concerned district, if shown while travelling by passenger bus within the state, shall be exempted from paying 50 percent of the fare."

2. In the serial number (4) of Schedule, for the figures "01 to 03" the figures "(1) to (3-A)" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
WILLIAM KUJUR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.